भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1997
11 मार्च 2025, को उत्तरार्थ

विषय: आंध्र प्रदेश में छोटे किसानों के लिए जैविक खेती सहायता

1997. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) एससी/एसटी किसानों को प्रदत्त सहायता संबंधी विशिष्ट डेटा के साथ इन किसानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) राज्य की ओर से जैविक उत्पादों के लिए बाजार संपर्क बनाने की क्या पहल की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार, प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के एक घटक, परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल है। पीकेवीवाई योजना जैविक किसानों को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करती है। इस योजना का प्राइमरी फोकस उपक्लस्टर में जैविक क्लस्टर बनाना है, जहां छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उन्हें आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिल सके। अब तक, आंध्र प्रदेश में पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत 3.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है, जिसमें छोटे और सीमांत किसान सहित 7.46 लाख किसान शामिल हैं।

(ख): पीकेवीवाई के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जैविक क्लस्टरों में 3 वर्षों में कुल 31,500 रुपये/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 15,000 रुपये/हेक्टेयर किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे ऑन-फार्म एवं ऑफ-फार्म जैविक आदानों के लिए, 4,500 रुपये/हेक्टेयर विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए, 3,000 रुपये/हेक्टेयर प्रमाणीकरण एवं अवशेष विश्लेषण के लिए तथा 9,000 रुपये/हेक्टेयर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं। किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र का लाभ उठा सकते हैं। वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई के तहत 52289 क्लस्टर विकसित करके 14.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत शामिल किया गया है जिसमें एससी/एसटी किसानों सहित 25.30 लाख किसान शामिल हैं। दिनांक 05.03.2025 तक, वर्ष 2015-16 से कुल 347.91 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं, जिनमें से आंध्र प्रदेश राज्य में पीकेवीवाई योजना के तहत एससी किसानों के लिए 54.49 करोड़ रुपये और एसटी किसानों के लिए 27.64 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं।

(ग): जैविक उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए जैविक उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए दो प्रकार की जैविक प्रमाणन प्रणालियाँ विकसित की गई हैं, जो नीचे दी गई हैं:

- निर्यात बाजार के विकास के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसी द्वारा अन्य पक्ष का प्रमाणन। एनपीओपी प्रमाणन योजना के तहत उत्पादन और जैविक उत्पादों के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार और निर्यात आवश्यकताओं जैसे सभी चरणों में गतिविधियों की हैंडलिंग शामिल है।

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया) जिसमें स्टेकहोल्डर्स (किसानों/उत्पादकों सहित) को एक-दूसरे की उत्पादन पद्धतियों का आकलन, निरीक्षण और सत्यापन करके पीजीएस-इंडिया प्रमाणीकरण के ऑपरेशन के बारे में निर्णय लेने में शामिल किया जाता है। पीजीएस-इंडिया प्रमाणन घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए है।

इसके अलावा, सरकार ने किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को जैविक उपज की सीधी बिक्री के लिए ऑनलाइन बाजार संपर्क प्लेटफार्म के रूप में वेब पोर्टल- www.Jaivikkheti.in/ विकसित किया है ताकि उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद मिल सके। जैविक खेती पोर्टल के तहत कुल 6.22 लाख किसानों का पंजीकरण किया गया है।

****